न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–317/2021 दायर दिनांक:–11.08.2021

जीसीएमएस नं. 2021/369

1. केड्या पुत्र रूग्धा उम्र 81 साल
2. मु0 चन्द्री देवी बेबा बत्तू उम्र 55 साल
3. लवकुश उम्र 26 साल
4. लवलेश उम्र 25 साल
5. बबलेश उम्र 25 साल
6. श्रीमति कैलाशी पत्नि यादराम उम्र 35 साल
7. श्रीमति रमेशी पत्नि केशन उम्र 32 साल
8. श्रीमति सीमा पत्नि अखलेश उम्र 26 साल
9. पप्पु उम्र 38 साल
10. बनैसिंह उम्र 42 साल
11. रामकेश उम्र 40 साल
12. हरिकेश उम्र 45 साल
13. श्रीमति लाखन्ती पत्नि समय सिंह उम्र 36 साल

(3 से 8: पिसरान दिवाल्या; 10 से 13: पिसरान बत्तु; सभी: जाति मीना निवासी गांवडा गुर्जर तहसील हिण्डौन जिला करौली)

––––––सायलान–13

बनाम

1. कुबल्ली राम पुत्र कन्हैया
2. कौशल्या पत्नि कुबल्लीराम

जाति मीना निवासी गांवडा गुर्जर तहसील हिण्डौन जिला करौली

––––––गैरसायलान–02

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित–1. श्री देवीसिंह गुर्जर अधिवक्ता सायलान

2.गैरसायलान 1 ता 2 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक:– 19.11.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:38 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आराजी खसरा नं0 351 रकबा 0.20 है0, 352 रकबा 0.17 है0, 353 रकबा 0.32 है0, 354 रकबा 0.03 है0, 356 रकबा 0.01 है0, 357 रकबा 0.32 है0 कुल किता 6 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान में स्थित है। जिसके समस्त इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड साविक हाल जमाबंदी संवत 2071 से

2074 में सायलान के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिससे प्रतिवादी स0 1,2 का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 02 प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजीयात में सायल स. 1 का 1/2 हिस्सा एवं सायल न0 02 चन्द्री देवी का हिस्सा 1/24 तथा खातेदार दिवाल्या पुत्र रामदेव का हिस्सा 1/4 है, जो एक साल पूर्व फौत हो चुका है, जिसके कायम मुकाम वारिसान में सायल न0 3 लवकुश, सायल स0 04 लवलेश, सायल न0 5 बबलेश सायल न0 6 उसकी पुत्री कैलाशी, सायल न0 7 रमेशी, सायल न0 8 सीमा उसके तर्के पर काबिज व दखील है। सायला स. 02 चन्द्री देवी बेबा बत्तू हिस्सा 1/24, सायल न0 9 पप्पू हिस्सा 1/24, सायल न0 10 बनैसिंह हिस्सा 1/24, सायला न0 13 श्रीमति लाखन्ती हिस्सा 1/24 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज हो रही है। जो तीस साल पूर्व सायल न0 1 व सायल न0 02 ता 13 सह खातेदारान ने आपस में बाहमी बंटवारा कर लिया है बाहमी बंटवारे के अनुसार आराजी ख0न0 357 रकबा 0.32 है0 चाही 1 सम्पूर्ण भूमि सायल स0 1 के हिस्से मे आयी है। जिसको सायल स0 1 अलग डोल मेंढ बनाकर मौके पर काबिज होकर निरंतर आज दिन तक फसल दर फसल निर्विवाद रूप से काश्त करता चला आ रहा है। जिस भूमि से प्रतिवादी न0 1 व 2 का कोई सरोकार नहीं है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है।

सायल न0 1 के बाहमी बंटवारे में आयी भूमि खसरा न0 357 रकबा 0.32 है0 भूमि चाही के उत्तरी पूर्वी कोने में 27 वर्ष पूर्व एक बोर बैल करवा रखा है जिसमें विद्युत कनेक्शन लेकर अपनी खातेदारी की भूमियों को बेरोक टोक सिचिंत कर निरंतर प्रत्येक कृषि वर्ष में काश्त करता चला आ रहा है। सायल न0 1 ने अपनी खातेदारी की भूमियों को उक्त बोरबैल से ग्राम काश्तकारों की रिवाज के अनुसार अन्डर ग्राउण्ड/भूमिगत/3 फुट प्लास्टिक पाईप लाईन अपनी खातेदारी के खेतों के सिचाई के लिये गैरसायल न0 1 व उनके अन्य सह खातेदारी के खेतों में होकर गाड रखे है जिनको गैरसायल स0 1 व 2 दुर्भावना से तोडने की धमकी देते है, तथा वादी न0 1 के उत्तरी पूर्वी कोने से गैरसायल न0 1 के सह खातेदारी के खेत ख0न0 367 रकबा 0.06 है0 भूमि में सायल न0 01 के 27 साल पुराने बोरवेल को बरबाद करने के लिये बिना सरकार की अनुमति के नया बोरवेल 100 मीटर की परिधि में लगाने पर आमदा फिसाद हो रहा है, जिसको कानूनन गैरसायल न0 1 को भारी हक तलफी हो जावेगी। सायल न0 1 व उसके परिवार गरीब काश्तकार व मजदूर पेशा आदमी है, जो कृषि कार्य व मजदूरी से अपने परिवार का पालन पोषण शांति से कर रहे है। जिनको गैरसायल न0 1,2 आये दिन वेजा हरकत करके परेशान करता रहता है, जिसके लिये गैरसायल न0 1,2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा संपाबंद किया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबंद किया जावे कि गैरसायलान सायल न0 1 के बाहमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:38 IST
Reason: SelfAttested

बंटवारे में आयी भूमि खसरा न0 357 रकबा 0.32 है0 भूमि वाके ग्राम गांवडा गूजर तह0 हिण्डौन के उत्तरी पूर्वी कोने में 27 साल पुराने बोर वेल को नष्ट करने के लिये उनकी सहखातेदारी की भूमि खसरा न0 367 में 100 मीटर की परिधि में नया बोर वैल बिना प्रशासन की स्वीकृति के नहीं लगावे, तथा सायल न0 1 के बोरवेल से अन्य खातेदारी के खेतों के लिये अन्डर ग्राउण्ड/भूमिगत/प्लास्टिक की पाईप लाईन को ना तो स्वय तोडे अथवा किसी अन्य से तुडवाये। सायलान की कृषि भूमि के किसी भी भाग से कोई छेडछाड नहीं करे। सायलान के कब्जे काश्त में कोई दखलंदाजी नहीं करे। सायलान को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। तथा गैरसायलान कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायलान को व उनकी उक्त भूमि को कोई क्षति पहुंचती हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 08.04.2024 से गैरसायलान की ओर से श्री मुरारी लाल करसोलिया अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गयी। गैरसायलान अधिवक्ता को जबाब पेश करने के कई अवसर दिये गये। जबाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आदेशिका दिनांक 28.06.2024 से गैरसायलान का जबाब बंद किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 117, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 25 नक्शा ट्रेस वाके ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 117, जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 25 नक्शा ट्रेस वाके ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सायलान एवं गैरसायलान उक्त भूमि के काश्तकार एवं खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में सायलान को दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:38 IST
Reason: SelfAttested

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 11.08.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 357, 367 वाके ग्राम गांवडा गूजर तहसील हिण्डौन की मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

19/11/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:38 IST
Reason: SelfAttested